



# MAHARAJGANJ POLICE

## सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 20.06.2026



**\*1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर \*448\* वाहनों का चालान किया गया।

**\*2.\* शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- \*75\* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*3. "मिशन शक्ति"-\*** मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।

**\*4. पैदल गश्त -\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 129 बीएनएस के तहत 14 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

**\*5.\* \*जन संवाद-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

**\*6. विवेचना निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- \*15\* विवेचना का निस्तारण किया गया।

**\*7.\* \*थानो द्वारा की गयी कार्यवाही\***

- मु0अ0सं0 184/2026: धारा 303(2) बी0एन0एस0 (बढ़ोत्तरी धारा 317(2)/317(4)

बा0एन0एस0) के तहत पुलिस टीम द्वारा प्रकाश म आएं अभियुक्त जितन्द्र साहना पुत्र लाठा उफ तुफाना (निवासी ग्राम चैनपुर, थाना कोठीभार, महाराजगंज, उम्र 45 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल Hero Hf DELUX (गाड़ी संख्या: UP 56 AM 4043) बरामद की गई।

- मु0अ0सं0 185/2026: धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त रामकेवल गुप्ता पुत्र रामानन्द (निवासी हरपुर जंगल, थाना गुलररिहा, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 58 वर्ष) को सुमेरगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में 18 टेप्रा पैक देशी शराब बरामद हुई।

**\*थाना कोल्हुई (अवैध शराब व गुंडा एक्ट कार्रवाई)\***

- मु0अ0सं0 82/2026: धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त राजेश पुत्र सुल्लुर (निवासी जंगल गुलररिहा लोहरा टोला, थाना कोल्हुई, महाराजगंज, उम्र करीब 35 वर्ष) के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर कार्रवाई की गई।

- मु0अ0सं0 83/2026: धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्ता संगीता पत्नी बुद्धिराम (निवासी जंगल गुलररिहा मुसहर टोला, थाना कोल्हुई, महाराजगंज, उम्र करीब 28 वर्ष) के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।

- गुंडा निवारण अधिनियम: धारा 3/4 गुंडा निवारण अधिनियम के तहत शातिर अपराधी गिरजेश सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र देवेन्द्र कुमार (निवासी बेलवा बुजुर्ग, थाना कोल्हुई, महाराजगंज, उम्र 41 वर्ष) के विरुद्ध निरुद्धीकरण की कार्रवाई की गई।

**\*थाना चौक (गुंडा एक्ट कार्रवाई)\***

- मु0अ0सं0 नील/2026: धारा 3/4 गुंडा निवारण अधिनियम के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के शातिर अपराधी सूरज भारती पुत्र भृगुनाथ भारती (उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी खोस्टा बड़ा टोला, थाना चौक, महाराजगंज) के विरुद्ध चालान कर विधिक कार्रवाई की गई।

**\*थाना नौतनवा (गुंडा एक्ट व लावारिस कस्टम माल बरामदगी)\***

- मु0अ0सं0 NIL/2026: धारा 3/4 गुंडा निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त बृजेश तिवारी उर्फ पिंकू (उम्र 40 वर्ष, पुत्र स्व0 श्यामानन्द तिवारी, निवासी कोहड़वल, थाना नौतनवा, महाराजगंज) के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

- कस्टम एक्ट (मु0अ0सं0 NILL/2026): धारा 113 कस्टम एक्ट के तहत चण्डीथान के पास से पुलिस टीम द्वारा 07 बोरी यूरिया खाद लावारिस हालत में बरामद की गई (नाम, पता अज्ञात)।

**\*थाना कोठीभार (गुंडा एक्ट कार्रवाई)\***

- मु0अ0सं0 NIL/2026: धारा 3/4 गुंडा निवारण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा दो शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई:

1. मो0 केश पुत्र इरीश (निवासी ग्राम मुण्डेरी चौबे, थाना कोठीभार, महाराजगंज, उम्र 40 वर्ष)

2. जगनलाल पुत्र राहानुद्दीन (निवासी पटहरी परगा, थाना कोठीभार, महाराजगंज, उम्र 25 वर्ष)

**\*थाना ठूठीबारी (कस्टम एक्ट के तहत भारी बरामदगी)\***

- मु0अ0सं0 नील/2026: धारा 111 कस्टम एक्ट के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा लक्ष्मीपुर खुर्द से अभियुक्त सोनू कुमार यादव पुत्र शिवशरण यादव (निवासी लक्ष्मीपुर खुर्द, थाना ठूठीबारी, महाराजगंज, उम्र करीब 32 वर्ष) के पास से तस्करी का 20 गत्ता माल (जिसमें कुल 679 पीस जूता) बरामद कर विधिक कार्रवाई की गई।

**\*7.\* \*गिरफ्तारी\*** जनपद में \*19/20-06-2026\* को विभिन्न अपराधों में कुल- \*78\* अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।